कार्यालय पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक 10.10.2024

विषयः- **25 हजार रुपये का इनामिया, लूट का वांछित अभियुक्त थाना चितईपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार।**

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के क्रम में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त, काशी जोन, कमिश्नरेट वाराणसी व सहायक पुलिस आयुक्त भेलूपुर के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी चितईपुर के कुशल नेतृत्व में दिनांक 09.10.2024 को चितईपुर पुलिस द्वारा सम्बन्धित मु0अ0सं0- 0209/24 धारा 304(2),317(2) BNS थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी व मु0अ0सं0 0138/24, धारा 304(2) बीएनएस थाना चितईपुर कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित पुरस्कार घोषित अभियुक्त शेरु खान उर्फ राजू उर्फ हमीद पुत्र चुन्ने खान उर्फ मुस्ताक अहमद पता मकान नं0 डी 50/50 काजीपुरा गोदौलिया थाना दशाश्वमेध जनपद वाराणसी उम्र करीब 40 को बजरडीहा पुलिस चौकी के सामने वाली गली मे हिरासत पुलिस मे लिया गया।

पूछताछ विवरण – अभियुक्त शेरू खान उर्फ राजू उर्फ हमीद पुत्र चुन्ने खान उर्फ मुस्ताक अहमद पता म0नं0 D50/50 काजीपुरा गोदौलिया थाना दशाश्वमेघ जनपद वाराणसी उम्र करीब 40 वर्ष पूछने पर बताया कि सर दिनांक 27.07.2024 को सुबह करीब 06 बजे विश्वनाथपुरी कालोनी नासिरपुर सुसुवाही चितईपुर वाराणसी मे मै और मेरा साथी विनोद भारती के साथ मिलकर एक महिला के गले से चेन छिने थे जिस चेन को मेरा साथी विनोद भारती बेचने के लिए रख लिया था। लेकिन उसके 03 दिन बाद मैने सुना कि विनोद भारती ने अवैध असलहे से पुलिस पर फायर कर दिया था व मुठभेड़ मे चोटिल अवस्था मे गिरफ्तार हो गया था और इससे पहले दिनांक 25.07.2024 को सुबह करीब 05.30 बजे थाना रोहनिया के लठिया नाकाइन रोड क्षेत्र से एक महिला की गले की चेन मै और विनोद भारती ने छीना था जिसे विनोद भारती ने बेचा था और मुझे हिस्सा मे 4000 रूपया दिया था जिसमे से 1800 रूपया खर्चा हो गया और बचे हुए 2200 रूपये ससुराल मे छिपाकर रख दिया था और मै सूरत मे छिपकर रह रहा था और बीच बीच मे वाराणसी आता जाता रहता था। मैं और मेरा मित्र विनोद भारती साथ मिलकर तय किया था कि चोरी वाली मोटरसाइकिल से हम दोनो लोग सुबह टहलने वाली महिलाओ का चेन छीनकर कुछ पैसा कमाया जायेगा। अपने प्लान के अनुसार विनोद भारती मोटर साइकिल चलाता था और मै पीछे बैठकर महिलाओं के गले का चेन छिनने का काम करता था। मै आज अपने ससुराल आया था कि आपलोक मुझे पकड़ लिये।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम-पता-

1. शेरु खान उर्फ राजू उर्फ हमीद पुत्र चुन्ने खान उर्फ मुस्ताक अहमद पता मकान नं0 डी 50/50 काजीपुरा गोदौलिया थाना दशाश्वमेध जनपद वाराणसी उम्र करीब 40 वर्ष।

बरामद सामान- 2200 रूपया (लूटी गयी चैन गिरफ्तार सहअभियुक्त विनोद भारती से पूर्व में बरामद की जा चुकी है)।

गिरफ्तारी का दिनांक व स्थान- दिनांक गिरफ्तारी 09.10.24 समय 11.30 रात्रि पर बजरडीहा

अपराधिक इतिहास का विवरण -

1. मु0अ0सं0 0138/24 धारा 304(2) BNS थाना चितईपुर कमिश्नरेट वाराणसी एवं बरामदगी रू 2200
2. मु0अ0सं0 0209/24 धारा 304(2),317(2) BNS थाना रोहनिया कमि0 वाराणसी
3. मु0अ0सं0 367/2021 धारा 392, 411 थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी
4. मु0अ0सं0 404/2021 धारा 307 थाना भेलूपुर कमि0 वाराणसी
5. मु0अ0सं0 54/2018 धारा 392, 411 थाना लक्सा कमि0 वाराणसी
6. मु0अ0सं0 64/2018 धारा 41, 411, 414 थाना लक्सा कमि0 वाराणसी
7. मु0अ0सं0 65/2018 धारा 379, 411, 414 थाना लक्सा कमि0 वाराणसी
8. मु0अ0सं0 75/2018 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि0 थाना लक्सा कमि0 वाराणसी।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. संजय कुमार मिश्र, प्रभारी निरीक्षक थाना चितईपुर, कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 संदीप कुमार सिंह चौकी प्रभारी चितईपुर
3. हे0का0 राकेश सिंह
4. हे0का0 कमलेश सिंह
5. का0 सूरज सिंह
6. का0 कमल किशोर
7. म0का0 मिनाक्षी

सहयोगी टीम

1. एसओजी टीम जोन काशी कमि0 वाराणसी
2. का0 अश्विनी कुमार सिंह (सर्विलांस सेल कमि0 वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त काशी जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।